संख्या: 5/2015/बी-1-1781/दस-2015-एम-128/2014

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 07 मई, 2015

विषय: वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेश को शासनादेश की वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से डाउनलोड करने के उपरान्त बजट आवंटन /सी.सी.एल. जारी करने तथा बिल पारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-502/दस-2015-एम-128/2014, दिनाँक 23 फरवरी, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभागाध्यक्षों के यहाँ तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारियों से अपेक्षा की गयी है कि वित्तीय स्वीकृतियों को वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से डाउनलोड करने तथा उसका मिलान शासन से प्राप्त हार्ड कॉपी से करने के उपरान्त कोषागारों को ऑन लाईन बजट आवंटन /सी.सी.एल. जारी की जाय तथा मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों से अपेक्षा की गयी है कि जिन मामलों में शासन से सीधे जनपदों में भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैं और उसकी प्रति सम्बन्धित कोषागार को पृष्ठांकित की जाती है, ऐसे मामलों में सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति को उक्त वेब साईट से डाउनलोड कर तथा शासन से प्राप्त हार्ड कॉपी से मिलान करने के उपरान्त प्रस्तुत बिलों को पारित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित विभाग द्वारा ही जारी की गयी है, यह सुनिश्चित करने के लिये निम्नवत कार्यवाही की जायेगी:-

(1) विभागाध्यक्षों के यहाँ तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा बजट आवंटन/ सी.सी.एल. जारी करने से पूर्व शासन से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति की हार्ड कॉपी का मिलान एवं उसकी पुष्टि अनिवार्य रूप से वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति के आदेश डाउनलोड कर की जाय।

(2) जिन मामलों में शासन से सीधे जनपदों में भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाती हैं और उसकी प्रति सम्बन्धित कोषागार को पृष्ठांकित की जाती हैं, ऐसे मामलों में सम्बन्धित

http://shasanadesh.up.nic.in

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा बिल पारण/भुगतान करने से पूर्व शासन से प्राप्त हार्ड कॉपी का मिलान एवं उसकी पुष्टि अनिवार्य रूप से वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति के आदेश डाउनलोड कर की जाय।

कृपया सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से (mandatorily) दिनाँक 01 जून, 2015 से सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या: 5/2015/बी-1-1781(1)/दस-2015-एम-128/2014, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेशों को वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड कराने हेतु।
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश ।
4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in